राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 112/2014/उदयपुर

विजय निर्माण कम्पनी प्रा0लि,
खाखड़ी, गोगुन्दा जिला उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम लाल सिसोदिया,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा)के अपील संख्या 117/वेट/12–13 निर्णय दिनांक 19.06.2013 व संशोधित आदेश दिनांक 23.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय प्रतिकरापवंचन उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.08.2012 के द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण द्वारा दिनांक 30.08.2012 को बरडाणा(महाराष्ट्र) से गुन्जोल(नाथद्वारा) माल परिवहनित करते समय वाहन संख्या आर.जे.27जी/9108 को गोवर्धन विलास रोड़, नेशनल हाईवे, उदयपुर पर रोक कर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने माल से सम्बन्धित दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने सन्तोष ट्रांसपोट एजेन्सी, बालापुर, धुलिया की जी.आर.नं. 1802 दिनांक 28.8.2012, मेटेरियल शिफ्टिंग नोट(स्टॉक ट्रांसफर), प्रपत्र वेट–47 नं. 6816099 दिनांक 19.5.2010 तथा पंजीयन प्रमाण पत्र महाराष्ट्र आदि पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 कालातीत था। अतः राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 जिसे आगे "वेट अधिनियम कहा जायेगा" की धारा 76(2) सपठित नियम 53(7)(सी) का उल्लंघन होने से धारा 76(6) में वाद दर्ज कर अपीलार्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्याम लाल सिसोदिया ने उपस्थित होकर, लिखित जवाब पेश किया जिसमें अवधिपार घोषणा पत्र होने की भूल स्वीकार कर

18-9-2015

लगातार.....2

नया घोषणा पत्र वेट–47 नं0 0393301 पेश कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, आयातीत स्टॉक ट्रांसफर माल रू0 5,00,000/– पर 30 प्रतिशत से, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति रू0 1,50,000/– की मांग कायम की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का कन्सट्रक्शन मैटेरियल स्टॉक ट्रांसफर पर माल बाहर से आ रहा था। वक्त जांच परिवहनित माल के साथ अन्य सभी दस्तावेजात मौजूद थे। केवल घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न अवधिपार था जो एक तकनीकी भूल थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नया घोषणा पत्र वेट–47 नं0 0393301 पेश कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत घोषणा पत्र को स्वीकार नहीं कर, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित की जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित 35 टैक्स अपडेट पाट–8 पेज 317 अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे.पी.फुड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर निर्णय दिनांक 26.02.2013 पेश किया जिसमें अवधिपार घोषणा पत्र की प्रस्तुति को एक तकनीकी भूल माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 12811/2000 पर दर्ज होकर, दिनांक 28.06.2000 को खारिज कर दी गई थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित एक अन्य 4 टेक्स अपडेट पार्ट–6 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता भिवाड़ी बनाम मै0 श्याम सुन्दर राम अवतार, जयपुर निर्णय दिनांक 25.09.2002 प्रस्तुत करते हुए, अपील स्वीकार करने एवं अवर न्यायालयों के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अप़ील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

मैंनें दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2012 को वाहन संख्या आर.जे.27जी/9108 को गोवर्धन विलास रोड़, नेशनल हाईवे, उदयपुर पर रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी ने जी.आर.नं. 1802 दिनांक 28.8.2012, मटेरियल

18-9-2015

लगातार.....3

शिफ्टिंग नोट(स्टॉक ट्रांसफर), प्रपत्र वेट–47 नं. 6816099 दिनांक 19.5.2010 तथा पंज़ीयन प्रमाण पत्र महाराष्ट्र आदि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये, जिसमें घोषणा पत्र वेट–47 कालातीत था,जो कि व्यवहारी की एक तकनीकी भूल थी। फिर भी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नया घोषणा पत्र वेट–47 नं0 0393301 पेश कर दिया था। माननीय कर बोर्ड द्वारा उपरोक्त पूर्व पारित निर्णय जिसमें अवधिपार घोषणा पत्र की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है तथा इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक माना है। उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 12811/2000 दिनांक 28.06.2000 को खारिज कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2013 व संशोधित आदेश दिनांक 23.09.2013 तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.08.2012 को अपास्त किया जाता है।

18-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य